छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक.....151...../2017 दिनांक 11 / 12 /2017

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम वर्ष 1972 अध्याय 04 की धारा 23 के अनुपालन में मण्डल मुख्यालय के आदेश क्रमांक 46 दिनांक 14.01.2015 मण्डल संपत्तियों के विक्रय हेतु प्राप्त ऑफर के परीक्षण करने तथा भवनों के आबंटन आदेश निरस्तीकरण को पुर्नजीवित करने/भवन क्रमांक परिवर्तन आदि प्रकरणों की जॉच परीक्षण हेतु आयुक्त महोदय के आदेशानुसार समिति है ।

वर्तमान में समिति के सदस्य लेखा/संपदा अधिकारी, (श्री डी.आर धुव्र) मुख्यालय नया रायपुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण चिकित्सा अवकाश में है इसलिए लेखा/संपदा अधिकारी, (श्री डी.आर धुव्र) कार्य निष्पादन के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी, मुख्यालय नया रायपुर अधिकृत होगें ।

समिति प्रक्षेत्र कार्यालय से प्राप्त रिक्त संपत्तियों के ऑफर का परीक्षण करेगी/आबंटित भवनों के आबंटन आदेश निरस्तीकरण को पुर्नजीवित करने/भवन क्रमांक परिवर्तन आदि प्रकरणों से संबंधित प्रक्षेत्र कार्यालय के संपदा अधिकारी उपस्थित रहेगें तथा मण्डल हित में स्वीकृत/अस्वीकृत करने हेतु उचित निर्णय लेगी। समिति के निर्णय पश्चात् संबंधित प्रक्षेत्र कार्यालय के संपदा अधिकारी, समिति के निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

क्रमशः-2-